संविधान - एक जीवंत दस्तावेज़

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» संविधान की परिवर्तनशीलता: एक जीवंत दस्तावेज़

प्रश्न 1 (आसान). संविधान के 'जीवंत दस्तावेज़' होने का क्या अर्थ है?

उत्तर – इसका अर्थ है कि संविधान समय की ज़रूरतों के अनुसार बदल सकता है, वह कठोर या अपरिवर्तनीय नहीं है।

प्रश्न 2 (आसान). अगर संविधान में बदलाव न हो पाएं, तो क्या समस्या आ सकती है?

उत्तर – अगर बदलाव न हों, तो संविधान देश की बदलती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा और अप्रभावी हो जाएगा।

प्रश्न 3 (मध्यम). दुनिया के किन देशों ने अपने संविधान में कई बार बदलाव किए हैं?

उत्तर – फ्रांस और सोवियत संघ जैसे देशों ने अपने संविधान में कई बार बदलाव किए हैं।

प्रश्न 4 (कठिन). आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि भारतीय संविधान 'अत्यंत दूरदर्शी' था, फिर भी उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है?

उत्तर – संविधान-निर्माता दूरदर्शी थे और उन्होंने कई भविष्य के मुद्दों का समाधान किया था, लेकिन कोई भी दस्तावेज़ हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। समाज की बदलती आकांक्षाओं और नई चुनौतियों को समायोजित करने के लिए बदलाव ज़रूरी हैं, तभी संविधान 'जीवंत' बना रह सकता है।

» संविधान संशोधन की आवश्यकता और संतुलन

प्रश्न 5 (आसान). अगर संविधान बहुत ज़्यादा लचीला हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है?

उत्तर – अगर संविधान बहुत ज़्यादा लचीला हो जाए, तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी से नियम बदल सकती है, जिससे देश में अस्थिरता आ सकती है।

प्रश्न 6 (आसान). कठोर संविधान का क्या अर्थ है?

उत्तर – कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करना या बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है।

प्रश्न 7 (मध्यम). भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन क्यों ज़रूरी है?

उत्तर – भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन इसलिए ज़रूरी है ताकि यह समय के साथ बदलती ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित हो सके, साथ ही इसके मूल सिद्धांतों और संघीय ढांचे की रक्षा हो सके, और अनावश्यक बदलावों से बचा जा सके।

प्रश्न 8 (कठिन). अगर भारतीय संविधान में सिर्फ़ लचीलापन होता और कठोरता न होती तो हमारे लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता?

उत्तर – अगर भारतीय संविधान में सिर्फ़ लचीलापन होता और कठोरता न होती, तो सत्ताधारी दल आसानी से 'संविधान के मूल ढांचे' को बदल सकते थे, जैसे कि मौलिक अधिकारों को खत्म करना या संघीय व्यवस्था को बदलना। इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्थिर हो जाती और तानाशाही का ख़तरा बढ़ जाता, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी पसंद के अनुसार संविधान को तोड़-मरोड़ सकती थी।

» संविधान संशोधन की प्रक्रिया: सामान्य बहुमत

प्रश्न 9 (आसान). कौन-से अनुच्छेद सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं?

उत्तर – नए राज्यों का गठन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद।

प्रश्न 10 (आसान). सामान्य बहुमत संशोधन में किस अनुच्छेद की प्रक्रिया का पालन नहीं होता?
उत्तर – अनुच्छेद 368 की विशेष प्रक्रिया का पालन नहीं होता।

प्रश्न 11 (मध्यम). अगर राज्यसभा में 200 सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें, तो सामान्य बहुमत से विधेयक पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा?
उत्तर – 101 सदस्यों का।

प्रश्न 12 (कठिन). संविधान के किन हिस्सों को 'काफी लचीला' कहा गया है और क्यों?
उत्तर – संविधान के वे अनुच्छेद जो सामान्य बहुमत से संशोधित हो सकते हैं, जैसे राज्य निर्माण या सीमा परिवर्तन। इन्हें लचीला इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके संशोधन के लिए किसी विशेष या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संसद सामान्य कानून की तरह ही बदलाव कर सकती है।

» संविधान संशोधन की प्रक्रिया: विशेष बहुमत

प्रश्न 13 (आसान). विशेष बहुमत के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है?
उत्तर – अनुच्छेद 368

प्रश्न 14 (आसान). विशेष बहुमत में क्या सिर्फ 'मतदान करने वालों का दो-तिहाई' बहुमत चाहिए होता है?
उत्तर – नहीं, 'सदन के कुल सदस्यों का आधा' भी चाहिए।

प्रश्न 15 (मध्यम). अगर राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, और एक संशोधन पर 200 सदस्य मतदान कर रहे हैं, तो उसे पारित करने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे?
उत्तर – राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, इसका आधा होता है 122.5, यानी कम से कम 123 वोट। मतदान में 200 सदस्य भाग ले रहे हैं, इसका दो-तिहाई होता है 133.33, यानी कम से कम 134 वोट। चूंकि दोनों शर्तों में से 134 अधिक है और 123 से भी ज़्यादा है, इसलिए 134 वोटों की ज़रूरत होगी।

प्रश्न 16 (कठिन). विशेष बहुमत की प्रक्रिया क्यों सामान्य बहुमत से अधिक कठोर रखी गई है?
उत्तर – विशेष बहुमत की प्रक्रिया संविधान के महत्वपूर्ण और मूलभूत ढाँचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को कठिन बनाने के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें अपनी अल्पकालिक इच्छाओं के अनुसार संविधान को आसानी से न बदल सकें और संविधान की स्थिरता तथा मूल भावना बनी रहे। इससे व्यापक राजनीतिक सहमति और दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

» संविधान संशोधन की प्रक्रिया: राज्यों का अनुमोदन

प्रश्न 17 (आसान). कौन-से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन ज़रूरी होता है?
उत्तर – अनुच्छेद 368

प्रश्न 18 (आसान). राज्यों के अनुमोदन के लिए कम से कम कितने राज्यों की विधानसभाओं की सहमति चाहिए?
उत्तर – कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति।

प्रश्न 19 (मध्यम). क्या शिक्षा के अधिकार से जुड़े किसी संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की ज़रूरत होगी? क्यों?
उत्तर – नहीं, सामान्यतः नहीं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन राज्यों के सीधे अधिकारों या संघीय ढाँचे में बड़े बदलाव न होने पर केवल संसद के विशेष बहुमत से काम चल सकता है।

प्रश्न 20 (कठिन). एक संशोधन विधेयक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को बदलता है। इस पर 'विशेष बहुमत' के अलावा और क्या प्रक्रिया लगेगी? विस्तार से बताएँ।
उत्तर – ऐसे विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों में 'विशेष बहुमत' की ज़रूरत होगी (यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई)। इसके साथ ही, 'कम से कम आधे राज्यों' की विधानसभाओं को भी 'साधारण बहुमत' से इस संशोधन का अनुमोदन करना होगा, क्योंकि यह राज्यों के वित्तीय अधिकारों को सीधा प्रभावित करता है।

» संशोधनों के प्रकार और कारण

प्रश्न 21 (आसान). संविधान में 'तकनीकी संशोधन' का क्या अर्थ है?

उत्तर – तकनीकी संशोधन वे होते हैं जो संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करते हैं या उनमें छोटे-मोटे प्रशासनिक बदलाव करते हैं, बिना उनके मौलिक स्वरूप को बदले।

प्रश्न 22 (आसान). वह कौन सा कारण है जिसके कारण न्यायपालिका और सरकार के बीच मतभेद होने पर संशोधन की आवश्यकता पड़ती है?

उत्तर – न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न मतभेद।

प्रश्न 23 (मध्यम). संविधान एक 'जीवंत दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है? 'संशोधनों के प्रकार' के संदर्भ में समझाइए।

उत्तर – संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' कहा जाता है क्योंकि यह बदलती सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार 'संशोधनों' के माध्यम से खुद को ढालता रहता है। 'तकनीकी बदलाव', 'न्यायिक व्याख्याओं' और 'राजनीतिक आम सहमति' से होने वाले संशोधन इसे गतिशील बनाए रखते हैं।

प्रश्न 24 (कठिन). भारतीय संविधान में 'इतने अधिक संशोधन' क्यों हुए हैं? 'न्यायिक व्याख्या', 'राजनीतिक आम सहमति' और 'तकनीकी आवश्यकता' के संदर्भ में कारण स्पष्ट करें।

उत्तर – भारतीय संविधान में 'इतने अधिक संशोधन' होने के कई कारण हैं। 'तकनीकी आवश्यकताओं' के तहत मूल उपबंधों को स्पष्ट किया जाता है (जैसे न्यायाधीशों की आयु)। 'न्यायिक व्याख्याओं' के कारण जब न्यायपालिका और सरकार के बीच किसी प्रावधान की समझ पर मतभेद होता है, तो संसद संशोधन करके अपनी व्याख्या को प्रामाणिक बनाती है। अंत में, 'राजनीतिक आम सहमति' से भी संशोधन होते हैं, जब बदलते सामाजिक मूल्यों और आकांक्षाओं को संविधान में शामिल करना होता है (जैसे दलबदल कानून, मतदान की आयु कम करना)। ये सभी कारण मिलकर संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' बनाते हैं।

» न्यायिक व्याख्याएँ और संविधान संशोधन

प्रश्न 25 (आसान). न्यायिक व्याख्या और संविधान संशोधन का क्या मतलब है?

उत्तर – जब न्यायपालिका और संसद के बीच संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या को लेकर मतभेद होता है, और संसद उस व्याख्या को स्पष्ट करने या बदलने के लिए संविधान में संशोधन करती है, तो उसे न्यायिक व्याख्या और संविधान संशोधन कहते हैं।

प्रश्न 26 (आसान). संविधान की व्याख्या को लेकर कौन-कौन सी संस्थाएं आपस में मतभेद रखती हैं?

उत्तर – संविधान की व्याख्या को लेकर मुख्य रूप से न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट) और सरकार (संसद) आपस में मतभेद रखती हैं।

प्रश्न 27 (मध्यम). 1970-1975 के दौरान न्यायिक व्याख्या और संविधान संशोधन के बीच टकराव के मुख्य मुद्दे क्या थे?

उत्तर – 1970-1975 के दौरान मुख्य मुद्दे मौलिक अधिकारों बनाम नीति निर्देशक सिद्धांतों, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमा को लेकर थे। इन पर बार-बार टकराव हुआ।

प्रश्न 28 (कठिन). क्या न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने की असीमित शक्ति है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर – नहीं, न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि न्यायपालिका अंतिम व्याख्याकर्ता है, कई बार उसकी व्याख्या से असहमत होने पर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसा कि 1970-75 के दौर में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर कई बार हुआ। हालांकि, केशवानंद भारती मामले में 'बुनियादी संरचना' का सिद्धांत स्थापित होने के बाद संसद की संशोधन शक्ति सीमित हो गई है।

» विवादास्पद संशोधन: आपातकाल का प्रभाव

प्रश्न 29 (आसान). किस दशक में '38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन' विवादास्पद रहे?
उत्तर – 1970 के दशक में।

प्रश्न 30 (आसान). किस घटना के बाद 38वें, 39वें और 42वें संशोधन किए गए थे?
उत्तर – जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद।

प्रश्न 31 (मध्यम). 42वें संशोधन को 'मिनी-संविधान' क्यों कहा जाता है?
उत्तर – क्योंकि इसने 'संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया' और 'संविधान की प्रस्तावना, सातवीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए' थे, जिससे संविधान का एक बड़ा हिस्सा बदल गया था।

प्रश्न 32 (कठिन). 43वें और 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर – 43वें और 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए विवादास्पद 38वें, 39वें और 42वें संशोधन के प्रभावों को 'निरस्त कर' 'संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू' करना था, ताकि संविधान का मूल स्वरूप और न्यायपालिका की शक्तियां बहाल हो सकें।

» संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत

प्रश्न 33 (आसान). संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में आया था?
उत्तर – केशवानंद भारती मामला

प्रश्न 34 (आसान). क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है?
उत्तर – नहीं, संसद 'मूल संरचना' को नहीं बदल सकती।

प्रश्न 35 (मध्यम). संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर – संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करना और संविधान के मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रखना।

प्रश्न 36 (कठिन). न्यायपालिका ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को कैसे विकसित किया, जबकि यह संविधान में कहीं लिखा नहीं है?
उत्तर – न्यायपालिका ने इसे 'न्यायिक व्याख्याओं' (judicial interpretations) के माध्यम से विकसित किया, यह मानते हुए कि संविधान के 'शब्द और भावना' (words and spirit) दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने संविधान की 'आत्मा' के आधार पर निर्णय दिया, न कि केवल शाब्दिक अर्थ पर।

» न्यायपालिका और राजनीतिज्ञों का योगदान: संविधान के विकास में

प्रश्न 37 (आसान). किस सिद्धांत ने संसद की संविधान बदलने की शक्ति को सीमित किया?
उत्तर – मूल संरचना का सिद्धांत

प्रश्न 38 (आसान). संविधान को जीवंत बनाने में न्यायपालिका की भूमिका क्या है?
उत्तर – संविधान की व्याख्या करना और मूल संरचना की रक्षा करना

प्रश्न 39 (मध्यम). राजनीतिज्ञों का 'परिपक्वता' और 'आम सहमति' दिखाना संविधान के विकास में कैसे सहायक है?
उत्तर – यह संविधान को बार-बार बड़े बदलावों से बचाता है और उसे समय के साथ विकसित होने का अवसर देता है।

प्रश्न 40 (कठिन). क्या न्यायपालिका की रचनात्मक व्याख्या से संविधान के 'मूल मूल्यों' पर कोई खतरा हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
उत्तर – नहीं, बल्कि न्यायपालिका की रचनात्मक व्याख्या अक्सर 'मूल मूल्यों' को 'आधुनिक संदर्भ' में मजबूत करती है, जैसे 'जीवन का अधिकार' में 'गरिमापूर्ण जीवन' को शामिल करना। 'मूल संरचना' का सिद्धांत इसी बात को सुनिश्चित करता है कि व्याख्या से 'मूल मूल्यों' को कोई खतरा न हो।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. भारतीय संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है?

› पहला, संविधान 'कठोर और अपरिवर्तनीय नहीं' है. यह इतना लचीला है कि इसमें 'समय की आवश्यकता के अनुरूप' बदलाव किए जा सकते हैं.

› दूसरा, समाज और देश की ज़रूरतें 'हमेशा बदलती रहती हैं'. अगर संविधान में बदलाव की गुंजाइश न हो, तो वह 'अप्रभावी' हो जाएगा.

› तीसरा, 'अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार-बरताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है.' इससे संविधान 'कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर' लगातार विकसित होता रहता है.

उत्तर – इसलिए, भारतीय संविधान को 'जीवंत दस्तावेज़' कहा जाता है क्योंकि यह समय के साथ विकसित होता है, बदलती ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित होता है और देश की लगातार बदलती परिस्थितियों को समायोजित करने की क्षमता रखता है.

उदाहरण 2. संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाए रखने के लिए उसमें लचीलेपन और कठोरता का संतुलन क्यों आवश्यक है?

› पहला कदम: लचीलेपन की आवश्यकता समझो। अगर संविधान पूरी तरह से कठोर होता, तो बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार जैसे नए अधिकारों को जोड़ने के लिए लचीलापन ज़रूरी है।

› दूसरा कदम: कठोरता की आवश्यकता समझो। यदि संविधान पूरी तरह से लचीला होता, तो सत्ता में आने वाली हर नई सरकार अपनी मनमानी से संविधान के मूल सिद्धांतों को बदल सकती थी। इससे देश की बुनियादी व्यवस्था अस्थिर हो जाती, जैसे संघवाद या मौलिक अधिकारों को आसानी से बदलना ठीक नहीं होता।

› तीसरा कदम: संतुलन का महत्व बताओ। 'संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे' ताकि एक तरफ़ यह आवश्यक सुधारों के लिए खुला रहे और दूसरी तरफ़ 'अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया' अपनाए। यह संतुलन ही संविधान को स्थिरता और विकास दोनों देता है।

› चौथा कदम: भारतीय संविधान के उदाहरण से समझाओ। हमारे संविधान में 'इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है'। कुछ प्रावधान सामान्य कानून की तरह बदले जा सकते हैं (लचीलापन), जबकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत और/या आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है (कठोरता)।

उत्तर – संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाए रखने के लिए उसमें लचीलेपन और कठोरता का संतुलन आवश्यक है क्योंकि लचीलापन इसे बदलती ज़रूरतों के अनुसार ढलने में मदद करता है, जबकि कठोरता इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करती है और अनावश्यक परिवर्तनों से बचाकर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखती है।

उदाहरण 3. संसद में एक नया राज्य बनाने के लिए एक संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। जिस दिन विधेयक पर मतदान हुआ, उस दिन 300 सदस्य सदन में उपस्थित थे और सभी ने मतदान किया। इस विधेयक को पास होने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी?

› यह एक ऐसा संशोधन है जो 'सामान्य बहुमत' से पारित किया जा सकता है।

› सामान्य बहुमत का अर्थ है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन।

› उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य = 300।

› आवश्यक समर्थन = (300 / 2) + 1 = 150 + 1 = 151 सदस्य।

उत्तर – इस विधेयक को पास होने के लिए 151 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

उदाहरण 4. मान लीजिए लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक पर 450 सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा?

› पहला चरण: कुल सदस्यों की संख्या का आधा निकालना। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, तो 545 का आधा होता है 272.5, जिसे हम 273 मानेंगे। इसका मतलब, विधेयक को पास करने के लिए कम से कम 273 सदस्यों का समर्थन चाहिए।

› दूसरा चरण: मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत निकालना। 450 सदस्य मतदान में भाग ले रहे हैं। 450 का दो-तिहाई होता है (450 * 2) / 3 = 300 सदस्य।

› तीसरा चरण: दोनों शर्तों की तुलना करना। पहली शर्त के अनुसार 273 वोट चाहिए और दूसरी शर्त के अनुसार 300

वोट चाहिए। विधेयक तभी पारित होगा जब दोनों शर्तें पूरी हों।

› तो, चूंकि 300 वोट की शर्त 273 से बड़ी है, और यह दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है (300, 273 से भी ज्यादा है), इसलिए 300 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा।

उत्तर – इस विधेयक को पारित करने के लिए 300 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा।

उदाहरण 5. मान लीजिए संसद एक संशोधन विधेयक प्रस्तावित करती है जो उच्च न्यायालयों (High Courts) की शक्तियों को सीधे प्रभावित करता है। इस विधेयक को पारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

› पहला चरण: संसद के दोनों सदनों में 'विशेष बहुमत' से विधेयक को पारित करना होगा।

› दूसरा चरण: इसके बाद, 'कम से कम आधे राज्यों' की विधानसभाओं को भी 'साधारण बहुमत' से इस विधेयक को अनुमोदित करना होगा।

› तीसरा चरण: एक बार जब यह शर्त पूरी हो जाती है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक कानून बन जाएगा।

उत्तर – उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित संशोधन के लिए 'संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन' भी आवश्यक होगा।

उदाहरण 6. संविधान के 'तकनीकी/प्रशासनिक संशोधन' का एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह 'मूल उपबंधों' में 'कोई विशेष बदलाव' कैसे नहीं करता।

› पहला प्रकार 'तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति' का है। इसमें 'मूल उपबंधों' को सिर्फ 'स्पष्ट' किया जाता है या 'उनकी व्याख्या' की जाती है।

› उदाहरण के लिए, 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना' (15वाँ संशोधन)।

› यह 'संशोधन' न्यायाधीशों की 'कार्यप्रणाली' या 'न्यायपालिका' की 'शक्तियों' में कोई 'मौलिक परिवर्तन' नहीं करता।

› यह केवल एक 'प्रशासनिक बदलाव' है ताकि अनुभवी न्यायाधीश 'दो साल' और 'सेवा' दे सकें।

› इससे संविधान की 'मूल भावना' या 'संरचना' पर कोई 'फर्क' नहीं पड़ता, बस 'एक व्यवस्था' को 'बेहतर' बनाया जाता है।

उत्तर – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष बढ़ाना एक तकनीकी/प्रशासनिक संशोधन है, क्योंकि यह मूल संरचना को प्रभावित किए बिना केवल एक व्यवस्थात्मक परिवर्तन करता है।

उदाहरण 7. मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में न्यायपालिका और संसद के बीच मतभेद को स्पष्ट कीजिए।

› समझें कि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं जो न्यायसंगत हैं (यानी इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है)।

› समझें कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो न्यायसंगत नहीं हैं (यानी इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती)।

› न्यायपालिका ने कई बार मौलिक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना, जबकि संसद ने सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में बदलाव करने की कोशिश की।

› उदाहरण के लिए, संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद हुए, जहां संसद ने भूमि सुधार जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया।

› न्यायपालिका ने कुछ संशोधनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना, जिससे संसद को बार-बार संशोधन करने पड़े ताकि वो अपनी मंशा स्पष्ट कर सके और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर सके।

उत्तर – मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी, वहीं संसद ने सामाजिक सुधारों हेतु नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देने के लिए संविधान में कई संशोधन किए। इन अलग-अलग व्याख्याओं के कारण संसद को कई बार संशोधन करने पड़े, जैसे संपत्ति के अधिकार को सीमित करना, ताकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके।

उदाहरण 8. आपातकाल के दौरान कौन से तीन मुख्य संशोधन किए गए और 42वें संशोधन के कोई दो प्रमुख प्रभाव बताएं?

› पहला, आपातकाल के दौरान किए गए संशोधनों को पहचानें। किताब बताती है कि ये '38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन' थे।

› दूसरा, 42वें संशोधन के प्रमुख प्रभावों को याद करें। किताब में बताया गया है कि इसने 'लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया' और 'मूल कर्तव्यों' को संविधान में जोड़ा गया।

उत्तर – आपातकाल के दौरान 38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन किए गए थे। 42वें संशोधन के दो प्रमुख प्रभाव थे: लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया और संविधान में 'मूल कर्तव्यों' को जोड़ा गया।

उदाहरण 9. प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती मामले' में संविधान के विकास में क्या योगदान दिया?

› पहला कदम, इस मामले में 'न्यायपालिका ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया' (the judiciary propounded a new doctrine) जिसे 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' कहा गया।

› दूसरा कदम, 'इस निर्णय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएँ निर्धारित कीं' (this decision defined the limits of Parliament's power to amend the Constitution)। मतलब, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन सिर्फ़ कुछ हद तक।

› तीसरा कदम, इसने स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ ऐसे 'बुनियादी तत्त्व' (basic elements) हैं जिन्हें संसद किसी भी संशोधन से 'उल्लंघन नहीं कर सकती' (cannot violate)।

› चौथा कदम, इस सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि 'संविधान का मौलिक स्वरूप सुरक्षित रहे' (the fundamental character of the Constitution remains secure), भले ही उसमें समय के साथ संशोधन क्यों न हों।

उत्तर – इस मामले में न्यायपालिका ने 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' प्रतिपादित किया, जिसने संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमाएँ लगाईं और सुनिश्चित किया कि संविधान के 'बुनियादी तत्वों' को नहीं बदला जा सकता।

उदाहरण 10. संविधान को एक 'जीवंत दस्तावेज़' बनाने में न्यायपालिका और राजनीतिज्ञों का क्या योगदान रहा है, संक्षेप में बताइए।

› पहले हम न्यायपालिका के योगदान को समझेंगे। न्यायपालिका ने 'केशवानंद भारती मामले' में 'मूल संरचना का सिद्धांत' दिया।

› इस सिद्धांत ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को 'सीमित' कर दिया, ताकि 'संविधान का मूल स्वरूप' न बदले।

› न्यायपालिका ने संविधान की 'व्याख्या' भी समय-समय पर की है, जिससे संविधान 'आधुनिक चुनौतियों' का सामना कर सके।

› फिर हम राजनीतिज्ञों के योगदान पर आते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञों ने 'परिपक्वता' और 'आम सहमति' से काम किया।

› उन्होंने 'संविधान में संशोधन' की प्रक्रिया को समझदारी से संभाला, बजाय इसके कि हर राजनीतिक बदलाव पर 'पूरा संविधान' ही बदल दें।

› इस 'लचीले और कठोर' दृष्टिकोण ने संविधान को 'स्थायित्व' दिया और उसे 'जीवंत' बनाए रखा।

उत्तर – न्यायपालिका ने 'मूल संरचना' का सिद्धांत देकर संविधान के मूल स्वरूप की रक्षा की और उसकी रचनात्मक व्याख्या की। राजनीतिज्ञों ने 'परिपक्वता' और 'आम सहमति' के माध्यम से संविधान को बदलने और विकसित करने में सहयोग दिया, जिससे संविधान एक 'जीवंत दस्तावेज़' बना रहा।

बोर्ड परीक्षा के लिए ख़ास

• यह अवधारणा समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न अक्सर आते हैं कि भारतीय संविधान कैसे 'लचीला' और 'कठोर' दोनों है.

• इस टॉपिक से 'लचीलेपन और कठोरता का अर्थ' और 'भारतीय संविधान में संतुलन के उदाहरण' पर आधारित सीधे प्रश्न अक्सर आते हैं।

• संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं पर सीधे प्रश्न आते हैं। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन वाले तीनों तरीकों को उदाहरणों सहित ज़रूर याद रखना, क्योंकि अक्सर अंतर पूछा जाता है।

• अनुच्छेद 368 के तहत 'विशेष बहुमत' की दोनों शर्तों को उदाहरण के साथ समझाना अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।

• यह विषय बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि 'संविधान संशोधन के कौन-कौन से तरीके हैं' और 'राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता कब पड़ती है'। इसे उदाहरणों के साथ अच्छी तरह समझ लेना!

• आपातकाल के विवादास्पद संशोधनों (38, 39, 42) और उनके बाद के 43वें, 44वें संशोधनों पर अक्सर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके प्रभावों और रद्द करने के कारणों को अच्छे से समझ कर लिखें।

• केशवानंद भारती मामला और 'मूल संरचना के सिद्धांत' से जुड़े प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आते हैं। इस कांसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना और लिखना है।

एक नज़र में रिवीज़न

› संविधान: कठोर नहीं, बल्कि जीवंत दस्तावेज़, समय के साथ बदलता है.

› संविधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन स्थिरता व अनुकूलन के लिए आवश्यक है।

› सामान्य बहुमत = उपस्थित व मतदान करने वालों का 50%+1

› विशेष बहुमत = कुल का आधा + मतदान का 2/3 (अनुच्छेद 368)

› संघीय मामलों में संशोधन: विशेष बहुमत + कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति।

› आपातकाल में 38, 39, 42 संशोधन; बाद में 43, 44 से निरस्त।

› केशवानंद भारती मामले (1973) से 'मूल संरचना' सिद्धांत; संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा।